भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 181

दिनांक 06 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

नेत्रहीन महिलाओं के लिए सामाजिक कल्याण पहल

*__181# श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकियाः__

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्रीय और राज्य सरकारों ने संयुक्त रूप से उन नेत्रहीन लड़कियों और महिलाओं की सहायता के लिए, जिन्हें सामाजिक कल्याण की पहलों के अभाव के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किसी कल्याणकारी कार्यक्रम को लागू किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या मंत्रालय, गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ मिलकर, शारीरिक हमले से नेत्रहीन महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से उनके घरों का दौरा किए जाने को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रहा है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग): विवरण सभा के पटल पर प्रस्तुत है।

*****

'नेत्रहीन महिलाओं के लिए सामाजिक कल्याण पहल' विषय पर श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकिया द्वारा पूछे गए दिनांक 06.08.2025 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 181 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): देश में दृष्टिबाधित महिलाओं सहित महिलाओं के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कई कानून/स्कीमें/पहल हैं।

इस संबंध में भारत सरकार की प्रमुख विधायी पहलों में "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016", "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013", "मातृत्व लाभ अधिनियम 1961", "घरेलू हिंसा से महिलाओं की संरक्षा अधिनियम, 2005", "दहेज निषेध अधिनियम, 1961", "कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013", "भारतीय न्याय संहिता", "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता", "भारतीय साक्ष्य अधिनियम" इत्यादि जैसे कानून शामिल हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 15वें वित्त आयोग अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2022-23 से देश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, जिन्हें तीन वर्टिकल अर्थात (1) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण हेतु मिशन शक्ति (2) देश में पोषण एवं स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हेतु सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0; तथा (3) कठिन परिस्थितियों बच्चों की संरक्षा और कल्याण हेतु मिशन वात्सल्य, में रखा गया है। मिशन शक्ति के तहत स्कीम का विवरण इस प्रकार है :

(i) मिशन शक्ति: 'मिशन शक्ति' का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के कार्यकलापों को सुदृढ़ करना है। इसमें 'सम्बल' और 'सामर्थ्य' नामक दो वर्टिकल है। 'सम्बल' वर्टिकल महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए है और इसके प्रमुख घटक में वन स्टॉप सेंटर है जो जिला स्तर पर स्थित एक संस्था है और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, चिकित्सा एवं पुलिस सहायता, परामर्श तथा कानूनी सहायता जैसी तात्कालिक मदद उपलब्ध कराती है। इस समय 843 वन स्टॉप केंद्र कार्यशील हैं। वन स्टॉप सेंटरों से दिनांक 30.06.2025 तक 11.94 लाख महिलाओं को सहायता प्राप्त हुई है। महिला हेल्पलाइन 181 घटक सहायता तथा सूचना चाहने वाली महिलाओं को चौबीसों घंटे नि:शुल्क टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराता है। महिला हेल्पलाइन ने 2.30 करोड़ से अधिक कॉलों पर कार्रवाई की है तथा दिनांक 31.05.2025 तक 88.24 लाख लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घटक खासकर ज़मीनी स्तर पर कार्यकलाप करने के लिए है जिसका उद्देश्य बालिका को महत्व देने के लिए लोगों की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाना है।

'सामर्थ्य' वर्टिकल महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है। मंत्रालय 01.01.2017 से देश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना घटक कार्यान्वित करता है, जिसके तहत पात्र महिला लाभार्थियों को पहले बच्चे के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) विधि से 5,000/-रुपये तथा दूसरा बच्चा यदि बालिका होती है तो 6,000/-रुपये दिए जाते हैं। इस नकद प्रोत्साहन का उद्देश्य स्वास्थ्यवर्धक व्यवहार तथा मजदूरी हानि की आंशिक प्रतिपूर्ति और साथ ही बालिका को महत्व देने के लिए सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन लाना है। शक्ति सदन दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए एकीकृत राहत एवं पुनर्वास गृह है। इसका उद्देश्य ऐसी कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए सुरक्षित और अनुकूल परिवेश उपलब्ध कराना है ताकि वे प्रतिकूल परिस्थितियों से उबर सकें। 'सखी निवास' (कामकाजी महिला छात्रावास) का उद्देश्य शहरी तथा अर्धशहरी और गांवों में भी जहां महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध हैं, वहां कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित तथा सुविधाजनक स्थान पर स्थित आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। संकल्प : महिला सशक्तीकरण केंद्र, महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं एवं सुविधाओं के बारे में सूचना तथा ज्ञान के अंतर को पाटने का काम करता है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 4 और 24 में महिला और बच्चों समेत दिव्यांगों के आर्थिक विकास का प्रावधान है। उक्त अधिनियम की धारा 37 में निर्धारित (बैंचमार्क) दिव्यांगता (40% दिव्यांगता या उससे अधिक) वाले व्यक्तियों को कृषि भूमि तथा आवास आवंटन और गरीबी उन्मूलन तथा विकासकारी योजनाओं में 5% आरक्षण देने का प्रावधान है जिसमें निर्धारित दिव्यांगता वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। उक्त अधिनियम की धारा 32 में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में दिव्यांगों के लिए 5% सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। सरकार सभी प्रकार की दिव्यांगता के लिए सरकारी नौकरियों में 4% का आरक्षण देती है जिसमें 1% आरक्षण दृष्टिबाधितों के लिए है।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने दृष्टिहीन बालिकाओं तथा महिलाओं समेत दिव्यांगों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान किए हैं/योजनाएं चलाई हैं:-

i. विभाग, सहायक अंग/उपकरण की खरीद/लगवाने के लिए दिव्यांगों को सहायता' नामक योजना चला रहा है।
ii. देश में 'दिव्यांगजन (दृष्टिहीन बालिकाओं सहित) विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति' नामक एक व्यापक योजना कार्यान्वित की जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, कुल 96,572 दिव्यांग छात्र लाभान्वित हुए हैं।
iii. देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान स्थापित किया गया है जो दृष्टिबाधित दिव्यांगता के लिए विशिष्ट संस्थान है। यह संस्थान दृष्टिबाधित बच्चों को विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित

करता है। संस्थान ने देश में वर्ष 2014 से 2023 के दौरान 13 नए ब्रेल मुद्रणालय स्थापित किए हैं और 12 मौजूदा ब्रेल मुद्रणालयों का आधुनिकीकरण किया है ताकि दृष्टिबाधित बालिकाओं सहित दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। सरकार इन ब्रेल मुद्रणालयों की समय-समय पर समीक्षा करती है।

iv. संस्थान, वर्ष 2014 से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 कार्यान्वयन योजना के अंतर्गत 'सुलभ शिक्षण सामग्री तैयार करने हेतु वित्तीय सहायता परियोजना' कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य देश में विद्यालय न जाने वाले दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री सुलभ फार्मेट (ब्रेल, बड़ा फॉन्ट और ईपब) में नि:शुल्क उपलब्ध कराना है।

सुलभ भारत अभियान के तहत, केंद्र सरकार ने तीन क्षेत्रों अर्थात पर्यावरण, परिवहन क्षेत्र और आईसीटी इकोसिस्टम (वेबसाइट्स) में कार्य किया है, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक निर्बाध परिवेश का सृजन करना है। 13 विभिन्न विभागों ने क्षेत्र विशिष्ट पहुंच मानक/दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने 08 दिव्य कला शक्ति और 11 दिव्य कला मेले आयोजित किए हैं, ताकि दिव्यांगजनों को अपना कौशल दिखाने के अवसर मिलें और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिले।

v. दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना के तहत, गैर सरकारी संगठनों को दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय चलाने हेतु सहायता अनुदान दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 1,00,836 दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं।

vi. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, दिव्यांगजनों के कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना कार्यान्वित कर रहा है जिससे मार्च, 2015 में शुरू किया गया था।

vii. राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम देशभर में 'दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना' तथा 'विशेष लघु वित्त योजना' के माध्यम से दृष्टिबाधित व्यक्तियों समेत दिव्यांगजनों के सामाजार्थिक सशक्तीकरण के लिए रियायती ऋण की व्यवस्था करता है।

viii. भारतीय पुनर्वास परिषद दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए देश में 167 संस्थाएं चला रही है।

ix. विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले दृष्टिबाधित व्यक्तियों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुरस्कार देकर सम्मानित किया है।

x. दृष्टिबाधित बालिकाओं सहित सभी दिव्यांग बच्चों को विभाग विभिन्न खेल-कूद गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।

xi. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत तीन दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम अर्थात् राष्ट्रीय ट्रेकोमा नियंत्रण कार्यक्रम 1963, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम-1976 और राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टिबाधिता कार्यक्रम-2017, हैं।

दृष्टिबाधित महिलाओं समेत, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए, देश में निर्भया कोष के अंतर्गत कई परियोजनाएं/योजनाएं कार्यान्वित की गईं/की जा रही हैं। इनमें आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली-112, पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क की स्थापना/सुदृढ़ीकरण, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति साइबर अपराध रोकथाम जिसके तहत राष्ट्रीय साइबर अपराध सूचना पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) स्थापति किया गया है, राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में साइबर फॉरेंसिक एवं सम्बद्ध सुविधाएं, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन-181 का सार्वभौमीकरण, राज्यवार वाहन ट्रैकिंग मंच, अन्वेषण अधिकारियों/अभियोजन अधिकारियों/चिकित्सा अधिकारियों को फोरेंसिक साक्ष्य एकत्रीकरण, बलात्कार एवं पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत लंबित मुकद्दमों के निपटान हेतु फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना, मानव दुर्व्यापार रोधी इकाइयों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण, 8 बड़े शहरों में सुरक्षित शहर परियोजना, आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित योजनाएं/कार्यक्रम भी दृष्टिबाधित महिलाओं की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करते हैं:-

i. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगजनों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले घरों की रोजी रोटी चलाने वाले प्रमुख व्यक्ति के देहांत पर शोक संतप्त परिवारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है।

ii. अटल पेंशन योजना, जो सभी भारतीयों, विशेषकर गरीबों, वंचितों तथा असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले 18-40 वर्ष आयु के कामगारों जिनका बैंक या डाकखानों में बचत खाता है, उनके लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम उपलब्ध कराती है।

iii. देशभर में मई 2015 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना संबंधी बीमा योजना है जिसमें दुर्घटना में मृत्यु और अपंगता के लिए बीमा होता है जिसमें सभी 18 से 70 वर्ष आयु के बैंक/डाकघर खाता धारकों को प्रतिमाह 20 रुपए का प्रीमियम देना होता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने या स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर 2 लाख रुपए और दुर्घटना में आंशिक अपंगता होने पर 1 लाख रुपए मिलते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक जीवन बीमा योजना है जिसमें किसी भी कारण से मृत्यु के लिए जीवन बीमा होता है, इसका वार्षिक प्रीमियम 436/- रुपए है। सभी 18-50 वर्ष आयु के बैंक/डाकघर खाता धारक इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं।

iv. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अन्त्योदय अन्न योजना वाले घरों से संबंधित बड़ी संख्या में नागरिकों तथा प्राथमिकता वाले घरों के लाभार्थियों को कोविड-19 महामारी के दौरान सहायता की गई थी। सरकार ने 1 जनवरी, 2024 से अगले पांच वर्षों तक लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज देने के लिए योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। इस स्कीम की पहुंच गांवों में बहुत ज्यादा है जहां लाभ प्राप्त करने में ज्यादातर महिलाएं, विशेषकर विधवाएं, उम्रदराज महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं, दिव्यांगजन शामिल हैं जिनमें दृष्टिबाधित महिलाएं भी शुमार हैं।

v. महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के कठिन परिश्रम को कम करने और जीवन को अधिक आसान बनाने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11 करोड़ से अधकि शौचालयों का निर्माण किया गया है।

vi. उज्ज्वला योजना के जरिए तकरीबन 10.3 करोड़ घरों को खाना पकाने के लिए धुआंरहित ईंधन उपलब्ध कराया गया है।

vii. जल जीवन मिशन के माध्यम से लगभग 15 करोड़ घरों को सुरक्षित और स्वच्छ नल जल कनेक्शन तक पहुंच मुहैय्या कराई गई है।

viii. प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का उद्देश्य 'सबके लिए घर' उपलब्ध कराना है जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बेघरों तथा कच्चे और टूटे-फूटे घरों में रहने वाले परिवारों तथा शहरी

क्षेत्रों में मलिन बस्तियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की आवास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बुनियादी सुविधाओं वाले पक्के मकानों का प्रावधान किया गया है।

ix. सरकार, आयुष्मान भारत योजना के तहत 55 करोड़ से अधिक नागरिकों को 1200 से ज्यादा चिकित्सा पैकेजों के जरिए मुफ्त उपचार प्रदान कर रही है, जिसमें खासकर शहरी, ग्रामीण तथा दूर-दराज के क्षेत्रों की गरीब महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ सुलभ हो रहा है। इनमें से 141 चिकित्सा पैकेज विशेषतौर पर महिलाओं की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं। योजना के तहत सात प्रकार की जांच (क्षय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुंह का कैंसर, स्तन कैंसर, गर्भाशय कैंसर और मोतियाबिंद) की सुविधाएं दी जाती हैं जिनसे करोड़ों महिलाओं को लाभ मिला है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 150,000 स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र भी हैं जिन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहा जाता है, जिनसे स्वास्थ्य सेवाएं समुदाय के समीप पहुंची हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, विश्व की सबसे बड़ी जन वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जिसमें गरीब और वंचित महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस योजना में 7 करोड़ उपचार उपलब्ध कराए गए हैं। बनाए गए कुल आयुष्मान कार्डों में लगभग 49% कार्ड महिलाओं के हैं तथा कुल प्राधिकृत अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती होने वाले कुल मरीजों में तकरीबन 48% महिलाएं थीं। विश्व की सबसे बड़ी टेलीमेडिसिन पहल ई-संजीवनी में लगभग 57% महिलाएं शामिल हैं।

x. देश में 16,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र कार्यशील हैं। लगभग 40 महिला विशिष्ट मदों सहित किफायती दवाएं और चिकित्सा उपकरण की व्यवस्था करने के साथ-साथ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर 1 रुपए प्रति पैड की दर से बहुत सस्ते दाम पर 'सुविधा स्वच्छता नैपकिन' नामक स्वच्छता (सेनेटरी) नैपकिन की बिक्री भी होती है। जन औषधि केंद्रों के जरिए 62 करोड़ से ज्यादा ऐसे नेपकिन बेचे गए हैं। सरकार ने सेनेटरी नेपकिनों को 100% कर मुक्त रखा है तथा इन्हें किफायती और सुलभ बनाया है।

xi. स्टैंड अप इंडिया तथा मुद्रा योजना से बैंक ऋण और उद्यम संबंधी कार्यकलाप सुलभ हुए हैं, तथा ज्यादातर महिला उद्यमियों को लाभ मिला है।

xii. स्टार्ट अप इंडिया, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम जैसी योजनाएं रोजगार/स्व-रोजगार

और ऋण सुविधा उपलब्ध कराती हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत लाभ पाने वाली ज्यादातर महिलाएं हैं।

xiii. आरबीआई ने बैंक की सेवाओं तक पहुंच को बढ़ाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें सहायक प्रौद्योगिकियों और सुलभ एटीएम मशीनों का प्रावधान भी है।

xiv. तेजाब हमले की पीड़ितों जिनमें दृष्टिबाधित महिलाओं सहित विभिन्न तरह की गंभीर शारीरिक क्षति वाली महिलाएं व बालिकाएं भी शामिल हैं, उन्हें राहत और सहायता देने के लिए तेजाब हमले की पीड़िता को, हमले की तारीख पर गौर किए बगैर, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अंतर्गत 1.00 लाख रुपये (पीड़िता प्रतिपूर्ति योजना के तहत दी जाने वाली राशि के अतिरिक्त) की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने 09.11.2016 को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(ग): गृह मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, महिलाओं के प्रति अपराधों से सख्ती से निपटने में सहायता करने के विचार से समय-समय पर दिशानिर्देश जारी कर रहा है जो www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं। इन दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, कानून के सख्ती तथा प्रभावी कार्यान्वयन संबंधी निर्देश, माननीय अदालतों, समितियों के विभिन्न निर्देश, प्राथमिकी अनिवार्य रूप से दर्ज़ करना, गलती करने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई, क्षमता एवं कौशल संवर्धन शामिल हैं।

******